

फर्द अहकाम

(नियम 15)

अज

अदालत

जिला कलक्टर

मुकाम

धौलपुर

इंडसइन्ड बैंक शाखा वैशाली नगर जयपुर

बनाम


बनवारी लाल

किस्म मुकदमा:-अन्तर्गत धारा 14 सराफेशी एक्ट 2002

मु0 नम्बर 09 सन् 2026

GCMS No. 2026 / 18

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुय
13.03.2026	<p>यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 सिक्वोरिटाईजेशन एण्ड रीकनस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेन्सियल एसेट्स एण्ड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्वोरिटी इन्टरस्ट एक्ट, 2002 के तहत प्रार्थी श्री निहाल सिंह प्राधिकृत अधिकारी बैंक ऑफ बडौदा शाखा धौलपुर ने ऋणी/बंधक कर्त्ता 1. बनवारी लाल निवासी - ग्राम गडराई कटूमरी धौलपुर राजस्थान 2. सहऋणी नरेन्द्र तोमर निवासी - कारीगर मोहल्ला, गडराई धौलपुर राज0 के विरुद्ध इस आशय का प्रस्तुत किया कि बैंक ने ऋणी/अप्रार्थी को ऋण खाता संख्या 922000001077 दिनांक 31.01.2024 को रूपये 16,29,617/- का ऋण स्वीकृत किया था, इस हेतु जमानती ने आवश्यक दस्तावेज निष्पादित किये थे। ऋण राशि निम्न परिसम्पत्ति, प्रतिभूति करार के अन्तर्गत प्रतिभूति आस्ति से रक्षित है:- वाहन संख्या RJ11GB2355 जिसका इंजन नम्बर ISBE591804071M63651871 एवं चेसिस नम्बर MAT541024H1P29254 है तथा वाहन का विवरण (TATA LPT 3718 CR BS-IV 10x2)। ऋण अदायगी हेतु गारन्टी के रूप में ऋणी ने आवश्यक दस्तावेजों को निष्पादन करके सम्पत्ति पर प्रतिभूति हित से सम्यबंधक किया है, तथा प्रदत्त ऋण पर ब्याज और ऋण के भुगतान में चूक होने पर अतिरिक्त ब्याज करार की शर्तों के अनुसार देय है। ऋण और ब्याज को समय पर चुकाने में असफल होने पर ऋणी के खाते को बैंक द्वारा दिनांक 20.07.2025 को नियमानुसार अनर्जक परिसंपत्ति(एन0पी0ए0) के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया। तथा दिनांक 25.08.2025 को अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत मांग नोटिस भेजकर 60 दिन में ऋण राशि 7,82,682.29/- दिनांक 25.08.2025 तक एवं इस दिनांक के बाद की ब्याज व खर्च अतिरिक्त भुगतान करने की मांग की। ऋणी 60 दिन में उक्त राशि अदा करने में असफल रहें। अतः प्रार्थी बैंक द्वारा अपने पास बतौर बंधक रखी सम्पत्ति का भौतिक कब्जा प्राप्त करने हेतु The securitization and reconstruction of financial assets and enforcement of the security interest act. 2002 की धारा 14 के तहत निवेदन किया है।</p> <p>हमने प्रार्थी बैंक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। पत्रावली दर्ज रजिस्टर हो। ऋणी/बंधक कर्त्ता द्वारा प्रार्थी बैंक को ऋण का भुगतान करने में असफल रहने व समय पर ऋण राशि मय ब्याज अदा नहीं करने पर उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को नोटिस जारी किये जाने के उपरांत भी ऋण राशि का शर्तों के मुताबिक भुगतान नहीं करने पर The securitization and reconstruction of financial assets and enforcement of the security interest act. 2002</p>	



जिला मजिस्ट्रेट
धौलपुर (राज0)

की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी बैंक के प्रार्थना पत्र अनुसार बंधक रखी सम्पति वाहन संख्या RJ11GB2355 जिसका इंजन नम्बर ISBE591804071M63651871 एवं चेसिस नम्बर MAT541024H1P29254 है तथा वाहन का विवरण (TATA LPT 3718 CR BS-IV 10x2) है। जिसका भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी बैंक को जरिये पुलिस से प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। पुलिस अधीक्षक धौलपुर को परवाना जारी किया जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार हो, बाद तकमील दाखिल दपतर हो। प्रकरण नम्बर से कम किया जावे।

आदेश आज दिनांक को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

30/3/2026

(श्रीनिधि बी टी)

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,

